न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/2023
जी.सी.एम.एस नं. 2023/53

प्रार्थी :–

राजस्थान राज्य जरिय, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री अभयसिंह पुत्र श्री पदमाजी, निवासी ग्राम पंचायत रोहनिया राम सिंह, पं. स. सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा।
2. श्री दिलीप कुमार पिता कन्हैयालाल जाति कलाल निवासी भडवेल ग्रा.प. टाण्डा मंगला पं.स, सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

उपस्थित

विभागीय पैरोकार

श्री हीरालाल जैन,
–अभिभाषक, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 6 ए (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित लिक्युफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000

दिनांक :– 18–10–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना सज्जनगढ द्वारा डिटेन किये गये 27 घरेलु गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में प्रवर्तन निरीक्षक, कुशलगढ द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रवीण सिंह, एस.एच.ओं पुलिस थाना सज्जनगढ द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.04.2018 को वे मय जाब्ता का.नि. कान्तिलाल 260 का.नि. राहुल कुमार न. 846 मय जीप चालक महेश कुमार न. 540 गश्त हेतु सज्जनगढ़ से मौजा भीलकुआ चौराहे पर पहुंचे। चौराहे के पास पहुचते ही जरिए मुखबिर सूचना मिली कि गांव भड़वेल ग्रा.प. टाण्ड़ा मंगला पं.स. सज्जनगढ़ में दिलीप कुमार कलाल/श्री कन्हैयालाल के मकान में अवैध रूप से गैस की टंकियो का भण्ड़ारण किया गया है। इस पर वे दिलीप कलाल के मकान पर पहुंचे। मौके पर वहां 2 व्यक्ति उपस्थित मिले, जिन्होने अपना [illegible] जाति कलाल निवासी भड़वेल ग्रा.प. टाण्ड़ा मंगला एवं दूसरे व्यक्ति [illegible] अभय सिंह/पदमा जी जाति लबाना निवासी ग्रा.प. रोहनिया [illegible] बताया। मकान के साईड वाले कमरे को खुलवाकर चैक करने पर अन्दर भारत गैस के 27 [illegible]ण्डरों का भण्ड़ारण पाया गया। सिलेण्डरों के भण्ड़ारण एवं दस्तावेज बाबत् पूछने पर श्री दिलीप कलाल ने बताया कि सत्यम भारत गैस बागीदौरा का सप्लाई वाहन गैस सिलेण्डरों की सर्कल में सप्लाई कर खाली सिलेण्डरों को लेकर वाहन से बागीदौरा लौट रहा था।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

भडवेल में वाहन खराब हो जाने के कारण सिलेण्डरो को यहां पर खाली कर वाहन को ठीक करने हेतु भिजवाया गया। सिलेण्ड़रो के कागजात के बारे में पूछने पर श्री दिलीप द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया गया। श्री अभयसिंह द्वारा बताया गया कि उक्त 27 गैस सिलेण्डर उसने दिलीप कलाल के कमरें में रखवाये है। जब पुलिस द्वारा इन टंकियो को पकड़ा गया और उन्होने इसके कागजात मागें, उस समय रात होने के कारण मै उन सभी उपभोक्ताओं के कागजात प्रस्तुत नही कर पाया। इन बयानों से हमें यह प्रतीत हुआ कि उक्त सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित है। का.नि. कान्तिलाल, का.नि. राहुल कुमार द्वारा इन सिलेण्डरों की गिनती करने पर संख्या 27 (सत्ताईस) पायी गयी। समस्त सिलेण्ड़र भारत गैस कम्पनी की खाली पायी गयी। इन्हे धारा 102 CRPC के जरिए जब्त की जाकर मालखाने में रखवाया गया। मौके पर उक्त समस्त (27) सिलेण्ड़र बी.पी.सी.एल. (भारत गैस कार्पोरेशन लि.) मार्का के पाये गये एवं पुलिस थाना सज्जनगढ़ के मालखाने में रखे पाये गये। समस्त सिलेण्डर पर धरेलू उपयोग हेतु लिखा पाया एव बी.पी.सी.एल. कम्पनी के पाए गए। समस्त सिलेण्ड़रों की जॉच करने एवं बाट व माप मानक प्रर्वतन अधिनियम 1985 के अन्तर्गत सत्यापित व मुद्रांकित तोल यंत्र द्वारा गैस सिलेण्ड़रो का वजन करवाने पर गैस की मात्रा नही पायी गयी। समस्त सिलेण्डर खाली पाए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स	कम्पनी	सिलेण्ड़रो का एस.आर. न.	कुल वजन टेयर	खाली टंकी का वजन	तौलने पर सत्यापन प्राप्त वजन	गैस का वजन	वि.वि.
1	BPCL	543677	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
2	BPCL	818342	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
3	BPCL	60848	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
4	BPCL	083078	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
5	BPCL	666040	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
6	BPCL	126576	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
7	BPCL	228547	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
8	BPCL	143147	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
9	BPCL	54563	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
10	BPCL	434748	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
11	BPCL	108696	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
12	BPCL	960611	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
13	BPCL	511683	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
14	BPCL	57762	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
15	BPCL	355604	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

16	BPCL	008313	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
17	BPCL	188762	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
18	BPCL	268045	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
19	BPCL	470874	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
20	BPCL	704913	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
21	BPCL	310166	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
22	BPCL	377611	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
23	BPCL	38697	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
24	BPCL	327079	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
25	BPCL	292764	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
26	BPCL	253159	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली
27	BPCL	980692	30 कि.ग्रा	15.8 किग्रा	15.8 किग्रा	0	खाली

दिनांक 06.04.2018 को पुलिस थाना सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्तानुसार 27 (सताईस) खाली गैस टंकिया (सिलेण्डर) अभिग्रहण की जाकर सत्यम भारत गैस एजेन्सी बागीदौरा के कर्मचारी श्री धमेन्द्र कुमार को सुपर्द की गयी। उक्त सिलेण्डर श्री दिलीप कलाल के मकान के पास वाले कमरे से जब्त की गयी जो कि अभय सिंह पिता पदमा जी जाति लबाना निवासी रोहनिया रामसिंह की होना पाया। थानाधिकारी की जब्तीनामा रिपोर्ट में दर्ज है। थाने में फर्द बनाते वक्त श्री अभय सिंह पिता पदमा जी उपस्थित हुए एवं उन्होने बताया की उक्त समस्त टकियां उपभोक्ताओं की थी जो कि इस सर्कल में सत्यम भारत गैस एजेन्सी की है एवं सत्यम भारत गैस एजेन्सी बागीदौरा द्वारा सप्लाई की जाकर वापिस खाली टंकिया लेकर जा रहे थे। वापिस जाते वक्त उनकी गाड़ी खराब हो गयी एवं उन्होने मेरे परिचित होने के कारण मुझे बताया की इन टंकियो को कहीं रखवा दो और मेने दुसरी गाडी की व्यवस्था भी करवाने की कोशिश की लेकिन भारत बन्द होने के कारण दुसरी गाड़ी की व्यवस्था नही हो पायी। काफी कोशिश के बाद मैने इनको मेरे परिचित एवं समीप ही मकान श्री दिलीप कलाल पिता कन्हैयालाल के साईड वाले कमरे में रखवा दी। क्योंकि सारी टंकियां खाली थी इस कारण उन्होंनें भी रखवा दी एवं उसे बताया की कल सुबह जल्दी लेकर चले जाएंगे। उक्त समस्त 27 (सताईस) [illegible] जो प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा श्री दिलीप कलाल के मकान में रखवायी गयी उपभोक्ताओं की ही। जब पुलिस द्वारा इन टंकियो को पकड़ा गया तब उन्होंने इसके कागजात [illegible] उस समय रात होने के कारण मैं उन सभी उपभोक्ताओं के कागजात प्रस्तुत नही क[illegible]ाया। मैने उन्हे बताया की सुबह प्रस्तुत कर दुंगा। सुबह प्रस्तुत करने गया तो उन्होंने (थानाधिकारी ने) न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। वक्त मौके पूछताछ में अभयसिंह पिता पदमा जी ने समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

27 (सताईस) उपभोक्ताओं की गैस डायरियां प्रस्तुत की एवं इन उपभोक्ताओं के खाली सिलेण्ड़र होना बताया। जिसकी प्रतिलिपि दी गयी जो सलंग्न दस्तावेज है। जब्त शुदा समस्त सिलेण्डर पर धरेलू उपयोग हेतु लिखा पाया एवं बी.पी.सी.एल. कम्पनी के पाए गए। एवं समस्त सिलेण्ड़रों की जॉच करने एवं बांट व माप मानक प्रर्वतन अधिनियम 1985 के अन्तर्गत सत्यापित व मुद्रांकित तोल यंत्र द्वारा गैस सिलेण्ड़रो का वजन करवाने पर गैस की मात्रा नही पायी गयी। श्री अभयसिंह द्वारा घरेलु उपयोग हेतु प्रयुक्त गाडी के नम्बर एवं रजिस्ट्रेशन के कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। श्री अभयसिंह के पास से जब्त शुदा सिलेण्डर बिना वैध लाईसेन्स एल.पी.जी. सिलेण्ड़रों का भण्डारण करना मौके पर पाया गया। भारत गैस कम्पनी के धरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त 27 (सत्ताईस) सिलेण्ड़र खाली जब्त सरकार किये जाकर सत्यम भारत गैस बागीदौरा के कर्मचारी श्री धमेन्द्र कुमार पिता लालेंग ग्राम जुना पगडीया के सुपर्दी में देकर निर्देशित किया गया कि वे उक्त 27 गैस सिलेण्डरों को अपनी गैस ऐजेन्सी के गोदाम पर रखकर सुरक्षित रखेगें एवं सक्षम न्यायालय द्वारा मांगने पर उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार मौके पर श्री दिलीप कलाल एवं अभयसिंह द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग करने हेतु अवैध भण्डारण करना पाया गया। उक्त कृत्य एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड़ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड़ 03 –1(ब), 4 (2), 6 एवं 7 (1) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए(1) के तहत् प्रकरण प्रस्तुत कर उक्त 27 गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश पारित करने निवेदन किया। जिस पर इस न्यायालय में प्रकरण सं. 05/2018 दर्ज रजिस्टर कर विधिवत दोनो पक्षो की सुनवाई की जाकर दिनांक 29.06.2018 को निर्णय पारित करते हुए उक्त जब्तशुदा 27 खाली गैस सिलेण्डरो को राजसात करने के आदेश दिये गये।

अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश बांसवाडा (राज.) में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2018 के विरुद्ध फौजदारी अपील नं. 51/2018 उनवान अभय सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य मार्फत जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा व अन्य दायर की गई।

माननीय अपर सेशन न्यायाधीश बांसवाडा में दर्ज फौजदारी अपील नं. 51/2018 उनवान अभय सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य मार्फत जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा व अन्य के निर्णय दिनांक 04.07.2023 अनुसार " धारा 03 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के परिपेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा लिक्यूफाईट पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन) आर्डर 2000 जारी किया था, जिसके तहत जब्ती की कार्यवाही करने की अधिकारिता परि[illegible] गई है और सज्जनगढ थानाधिकारी को जब्ती की कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी क्योंकि थानाधिकारी सज्जनगढ उपनिरीक्षक पंक्ति के अधिकारी है। इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा13 एवं नोटिफिकेशन SO 361 दिनांक 22.02.20[illegible] का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि इस अधिनियम के तहत प्रवेश, तलाशी एवं अन्य जब्ती की कार्यवाही करने की अधिकारिता सभी राजस्व अधिकारियो जो कि तहसीलदार की पंक्ति से न्यून

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

नही होंगे, तथा सभी पुलिस अधिकारीयों जो कि डिप्टी सुपरिडेंट ऑफ पुलिस की पंक्ति से न्यून नही होंगे, को पदत्त की गई है। उपरोक्त धारा एवं नोटिफिकेशन के अवलोकन से यह पुर्णतया स्पष्ट है कि उपनिरीक्षक पंक्ति के अधिकारी को सिलेण्डरो की जब्ती की अधिकारिता नही थी और उस अधिकारी ने अपनी अधिकारिता से परे जाकर जब्ती की कार्यवाही की है।" माननीय न्यायालय के निर्णय में अन्य कथन "इसके अतिरिक्त पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी विदित होता है कि सिलेण्डरो में कोई आवश्यक वस्तु मौजुद नही थी। सभी सिलेण्डर खाली थे, इस कारण लिक्यूफाईट पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन) ऑर्डर 2000 की धारा 7 का ही उल्लंघन है, अन्य किसी धारा का कोई उल्लंघन दर्शित नही होता है तथा यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित नही की गई है, क्योकि अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान पात्र के सम्बन्ध में उसी समय लागू होते है, जब पात्र में आवश्यक वस्तु भरी हुई हो।"

इस प्रकार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2018 को अपास्त कर माननीय न्यायालय ने प्रतिप्रेषित करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध स्वीकृत व अन्य तथ्यो के परिपेक्ष्य में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर निर्णय में की गई विधि व तथ्य की त्रुटि के संबंध में पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करने प्रेषित किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गए। दिनांक 16.08.2023 को अप्रार्थीगणो की ओर से श्री हिरालाल जैन, श्री भुषण जैन, श्री भूपेन्द्र जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने प्रकरण में सिधे बहस प्रस्तुत करने निवेदन किया।

दिनांक 12.07.2024 को उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत बहस तथा दिनांक 18.10.2024 को पुनः बहस सुनी गई।

अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई प्रकरण 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत नही किया है और ना ही धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम कोई अपराध बनता है क्योंकि सभी टंकिया खाली थी और उपभोक्ताओ की थी जिनके कार्ड दौराने सुनवाई प्रस्तुत किये है, इस कारण धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। वाहन रास्ते में खराब हो जाने से रेस्पोडेंट सं. 2 के कमरे में अस्थायी रुप से उक्त टंकियां रखवाई थी, जिनके मालिक उपभोक्तागण है। प्रकरण में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उक्त टंकियों को सीज किया गया है, जो गैर कानूनी है। थानाधिकारी सज्जनगढ को अधिनियम के अनुसार कार्यवाही [illegible] द्वारा अपने अधिकारो के विपरीत जाकर कार्यवाही की है। धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के परिपेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा लिक्यूफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्टिब्यूशन) आर्डर 2000 जारी किया था, जिसके तहत जब्ती की कार्यवाही करने की अधिकारिता निर्धारित की गई है और सज्जनगढ थानाधिकारी को जब्ती की कार्यवाही करने की अधिकारिता नही थी, क्योंकि थानाधिकारी सज्जनगढ उपनिरीक्षक पंक्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अधिकारी है। उनके द्वारा की गयी जप्ती की कार्यवाही अवैध है। अतः प्रकरण जब्त की गई 27 खाली गैस टंकियो को उनके उपभोक्तागणो को सुपुर्द किये जाने निवेदन किया।

विभागीय पैरोकार ने बहस में कथन किया कि धारा 102 CRPC के अन्तर्गत पुलिस को किसी भी वस्तु को संदिग्ध होने पर जब्त करने का अधिकार है। जब्ती के पश्चात नियमानुसार विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कार्यवाही की गई है। अप्रार्थीगण सम्बन्धित गैस एजेंसी के प्रतिनिधि (हॉकर) नहीं हैं, न ही उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि गैस एजेंसी द्वारा उनका वाहन किराये पर रखा गया है। वक्त निरीक्षण खराब होने वाले वाहन का नम्बर तक अप्रार्थीगण द्वारा नहीं बताया गया एवं न ही गैस कम्पनी से इस बात की पृष्टि हुई कि उनका वाहन खराब होने के कारण गैस टंकियां रखवाई गई, इससे स्पष्ट होता है कि ये खाली टंकियां अवैध रूप से भण्डारित की गई हैं। उक्त कृत्य एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड़ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड़ 03 –1(C), 4 (2), 6 एवं 7 (1) का उल्लंघन है, जैसा कि LIQUEFIED PETROLEUM GAS (REGU. OF SUPPLT...) में उल्लेखित नियम 7 के क्लॉज सी में स्पष्ट उल्लेख है कि Possess filled or empty cylinder, gas cylinder valve or pressure regulator, unless he is a distributor or a consumer. प्रकरण में विपक्षीगण न तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और न ही कन्ज्यूमर हैं। अप्रार्थीगण सम्बन्धित गैस एजेंसी के प्रतिनिधि (हॉकर) नहीं हैं। 27 खाली सिलेण्डर अप्रार्थी के मकान के कमरे में पाये गये हैं, तथा मौके पर उपभोक्ताओं से सम्बन्धित कागजात भी प्रस्तुत नहीं किये गये। विपक्षी का यह कहना कि ग्राम वासियों के खाली सिलेण्डर लेकर अपने वाहन के माध्यम से गैस कम्पनी पर रिफिल करवाने जा रहा था, और उसका वाहन खराब होने के कारण ग्राम भडवेल में विपक्षी संख्या 2 के यहां रखवाये गये, तो यह खाली सिलेण्डर एक ही गांव के होने चाहिए थे। रोहनिया रामसिंह गांव से खाली सिलेण्डर भरवाने हेतु मुख्य मार्ग (रूट) में ग्राम भड़वेल नहीं आता है। लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गेस (रेग्यू. ऑफ सप्लाई) आदेश 2000 में खाली सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर, वाल्व अथवा प्रेशर रेग्यूलेटर अधिकृत वितरक अथवा उपभोक्ता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परिवहन अथवा भण्डारण नहीं कर सकता है। जब्तशुदा 27 खाली गैस सिलेण्डरो को राजसात करने के आदेश दिनांक 29.06.2018 को यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। 102 सी.आर.पी.सी के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी को किसी भी सम्पत्ति/ वस्तु को चोरी का संशय होने अथवा किसी अपराध में संदिग्ध होने पर जब्त करने के अधिकार है। थानाधिकारी पुलिस थाना सज्जनगढ ने मुखबीर की सूचना पर दिनांक 02.04.2018 को बी.पी.सी.एल कम्[illegible] के [illegible]ध रुप से भण्डारित 27 गैस सिलेण्डर धारा 102 सी.आर.पी.सी के तहत जब्त [illegible]। थानाधिकारी पुलिस थाना सज्जनगढ द्वारा पत्रांक दिनांक 04.04.2018 [illegible] हेतु जिला रसद अधिकारी बांसवाडा को सूचित किये जाने पर श्री सोहन लाल च[illegible]न, तात्कालिन प्रवर्तन निरीक्षक, सज्जनगढ को जांच हेतु पाबंद करने पर सम्बन्धित प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 06.04.2018 को बाद जांच जब्तशुदा 27 खाली गैस सिलेण्डर का अभिग्रहण किया गया। जांच

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अनुसार अप्रार्थीगणो द्वारा धरेलु गैस सिलेण्डरो का अवैद्य भण्डारण करना पाया गया है। इस प्रकरण में अप्रार्थीगणो के विरुद्ध माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, महोदय बांसवाडा ने अपने निर्णय में धारा 7 लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड़ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 का उल्लंघन प्रमाणित माना है। जब्त शुदा खाली गैस सिलेण्डर लिक्यूफाईट पेट्रोलियम गैस के संग्रहण का पात्र है, यह पात्र लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस जो कि आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है, के स्टोरेज के लिये ही उपयोग में लिये जाते है।

अतः अवैद्य रुप से भण्डारित उक्त जब्त शुदा 27 खाली गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त 27 खाली गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी बांसवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.10.25 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested